झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड विधान मंडल सचेतक
(सुविधा और भत्ता)
(संशोधन) विधेयक, 2008

सत्यमेव जयते

2008

झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

विषय–सूची ।

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड अधिनियम 18, 2006 की धारा–3 में संशोधन।

झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2008

झारखण्ड विधान मंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के वेतन एवं भत्ते का अवधारण करने के लिए संशोधन विधेयक –

भारत गणराज्य के 59वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

   (i). यह झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

   (ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii). यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम–18, 2006) की धारा–3 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है –

"वेतन मद में अंक एवं शब्द में 5,000/–(पांच हजार) रुपये के स्थान पर 10,000/–(दस हजार) रुपये प्रति माह देय होगा।"

"सत्कार भत्ता मद में अंक एवं शब्द में 8,000/–(आठ हजार) रुपये के स्थान पर 12,000/–(बारह हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा।"

***

वित्तीय संलेख

झारखंड विधान मंडल के सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम–2001, में संशोधन कर सचेतक के भत्ते एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का प्रावधान किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 7,00,000/–(सात लाख) रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

(स्टीफन मरांडी)
भार साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

संसदीय प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में विभिन्न विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भी सीधी भागीदारी पहले से अधिक हो गयी है। संसदीय व्यवस्था के बढ़ते दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में सचेतक को भी विभिन्न स्तरों पर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सचेतक के भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसको अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(स्टीफन मरांडी)
भार साधक सदस्य